

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल
ऋण आवेदन-पत्र

अनिवार्य जमा के विरुद्ध ऋण हेतु आवेदन-पत्र

(अधूरा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा)

अध्यक्ष,

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल

महोदय,

मैं

पिता/पति

क्रमांक

आपकी समिति का सदस्य हूँ/मुझे घरेलू कार्य हेतु रू.

(रूपये) ऋण की आवश्यकता है। यह राशि मेरे खाता

क्रमांक शाखा में जमा करने का कष्ट करें।

मैं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक का स्थाई/अस्थायी सदस्य हूँ एवं वर्तमान में बैंक के मुख्यालय/शाखा

/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में कार्यरत हूँ।

मेरी सेवा एवं वेतन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है।

1. सेवा संबंधी जानकारी :

1. वेतन :

अ- मूल वेतन रू.

ब- महंगाई भत्ता रू.

स- अन्य भत्ता रू.

अ- जन्मतिथि

ब- सेवा ग्रहण तिथि

स. स्थाई होने की तिथि

द. सेवानिवृत्ति की तिथि

योग रू.

(अघतन माह का (स्व. प्रमाणित) वेतन पत्रक संलग्न है।)

मेरी जानकारी के अनुसार समिति में मेरी अनिवार्य जमा राशि रू. लगभग जमा है।

मुझे ऋण संबंधी समिति के समस्त नियम एवं शर्तें मान्य हैं तथा मैं नियमानुसार अनिवार्य जमा की राशि की कटौती

हेतु सहमत हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे उपरोक्तानुसार ऋण रू.

(रूपये) स्वीकृत करने का कष्ट करें।

गवाह :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता

दिनांक

ऋणग्रहीता :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता

दिनांक

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. : भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला-सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

द्वारा

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित,

भोपाल

: ऋण किश्त काटने का अधिकार पत्र :

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से अनिर्वर्य जमा के विरुद्ध ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, जिसे मेरे नियोक्ता द्वारा म.प्र. को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत अग्रेषित करने के परिप्रेक्ष्य में मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार पत्र लिखकर देता हूँ कि मेरे द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से दिनांकको प्राप्त किये गये ऋण राशि रू. की नियमित किस्त राशि रूप्रत्येक माह मेरे वेतन से कटौती कर संस्था को भेजी जाये । किसी कारण वश किसी माह का वेतन न मिलने की स्थिति में वेतन मिलने वाली माह में ऋणदाता समिति द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र अनुसार राशि कटौती कर समिति को भेजी जाये ।

मेरे सेवानिवृत्त/मृत्यु या सेवामुक्त करने/त्यागपत्र देने, जैसी भी स्थिति हो मेरे नियोक्ता /म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार रहेगा कि मुझे या मेरे आश्रितों को प्राप्त होने वाले ग्रेच्युटी , समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण या अन्य मदों से प्राप्त योग्य राशि में से समिति की देय राशि की कटौती कर समिति को बकाया ऋण भेज दें ।

मैं यह शपथपूर्वक वचन देता/देती हूँ कि यह अधिकार पत्र बिना म.प्र.राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल की लिखित अनुमति के वापिस नहीं होगा ।

गवाह :

शपथकर्ता (ऋणी)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पूरा नाम

पद

पद

स्थान

स्थान

दिनांक

दिनांक

DEMAND PROMISSORY NOTE

Place.....

Date.....

On demand, I.....

Promise to pay the madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank karmachari Sahakari Sakh Samiti Maryadit,

Bhopal or order the sum of Rs.(Rupees)

.....only) with interest thereon at the rate of%

per annum for value received

Rs.

Revenue
Stamp
Rs. 2.00

Borrower :-

Signature.....

Name

Address

.....

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. : भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला-सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

द्वारा

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहाकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित,

भोपाल

: ऋण किश्त काटने का अधिकार पत्र :

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, जिसे मेरे नियोक्ता द्वारा म.प्र. को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत अग्रेषित करने के परिप्रेक्ष्य में मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार पत्र लिखकर देता हूँ कि मेरे द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से दिनांकको प्राप्त किये गये ऋण राशि रू.

की नियमित मासिक किश्त राशि रूप्रत्येक माह मेरे वेतन से कटौती कर संस्था को भेजी जाये । किसी कारण वश किसी माह का वेतन न मिलने की स्थिति में वेतन मिलने वाले माह में ऋणदाता समिति द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र अनुसार राशि कटौती कर समिति को भेजी जाये ।

मेरे सेवानिवृत्त/मृत्यु या सेवामुक्त करने/त्यागपत्र देने, जैसी भी स्थिति हो मेरे नियोक्ता /म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार रहेगा कि मुझे या मेरे आश्रितों को प्राप्त होने वाले ग्रेच्यूटी , समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण या अन्य मदों से प्राप्ति योग्य राशि में से समिति की देय राशि की कटौती कर समिति को बकाया ऋण भेज देवें ।

मैं यह शपथपूर्वक वचन देता/देती हूँ कि यह अधिकार पत्र बिना म.प्र.राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल की लिखित अनुमति के वापिस नहीं होगा ।

गवाह :

(ऋणी)

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पूरा नाम.....

पद

पद

स्थान

स्थान

दिनांक

दिनांक

